भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 135

दिनांक 24.02.2015/05 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण

†135. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीरः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पुलिस को आतंकवादियों/नक्सलियों/माओवादियों से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य प्रभावी कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उन पुलिस कर्मियों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है जो माओवादियों के आक्रमण का निशाना बने हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क) और (ख): जी, हां। गृह मंत्रालय के अंतर्गत सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपीएनपीए) का विशेष सामरिक प्रशिक्षण विंग नक्सलियों/आतंकवादियों से लड़ने और आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और विभिन्न राज्यों के पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी (एनईपीए), मेघालय द्वारा आयोजित मौलिक पाठ्यक्रम में विद्रोह-रोधी और नक्सल-रोधी अभियानों से संबंधित विषय में पुलिस अधिकारियों को पर्याप्त जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। एसएलआर, आईएनएसएएस, एके-47, पिस्तौल और एमपी5, ग्रेनेड जैसे हथियारों को चलाना और संभालना तथा विस्फोटकों का उपयोग सिखाया जाता है। वर्ष 2009 से 2015 की अवधि के दौरान अब तक, एसवीपीएनपीए के सामरिक विंग ने 47 रणकौशल पाठ्यक्रम, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के 04 पाठ्यक्रम, 03 सामरिक अभियान (आपरेशन) प्रबंधन पाठ्यक्रम, 03 विस्फोटक, आईईडी और विस्फोट के बाद की प्रक्रिया संबंधी पाठ्यक्रम और 02 शहरी हस्तक्षेप अभियान संबंधी पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं। एसवीपीएनपीए में कुल 2144 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

इस समय, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्यों में 21 विद्रोह-रोधी और आतंकवाद-रोधी (सीआईएटी) स्कूल कार्य कर रहे हैं। सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में 04 नए सीआईएटी स्कूल स्थापित करने का भी निर्णय लिया है।

(ग): केन्द्र सरकार पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए 'पुलिस बलों का आधुनिकीकरण' (एमपीएफ) योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को निधियां उपलब्ध करा रही है। इस योजना में पुलिस अवसंरचना को सुदृढ़ करने पर बल दिया गया है, जिसमें पुलिस भवन, पुलिस आवास, आवाजाही, हथियार, उपकरण, प्रशिक्षण अवसंरच ना, कम्प्यूटरीकरण और विधि-विज्ञान शामिल है।

(घ): माओवादी हिंसा में मारे गए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के कार्मिकों के निकटतम संबंधी को 15 लाख रु. (पन्द्रह लाख रुपए) के अनुग्रह मुआवजे का भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के अंतर्गत वामपंथी उग्रवादी हिंसा के कारण मारे गए प्रत्येक सुरक्षा कर्मी के परिवार को अनुग्रह-भुगतान (अधिकतम 3 लाख रुपए) की प्रतिपूर्ति की जाती है।